



Neutral Citation No - 2026:AHC:28639

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-ए संख्या - 2026 की 1904

ललित मोहन सिंह नेगी
बनाम
भारत संघ एवं 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता
.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रमेश पुंडीर, रेखा पुंडीर

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : भारत के अपर महान्यायाभिकर्ता, शिव कुमार पाल

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश पुंडीर के पक्षसार धारक श्री अभय पांडेय (ए/ए 1568/2024) अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल एवं प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार पाल को सुना गया।
2. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल द्वारा यह प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि आक्षेपित आदेश दिनांकित 06.06.2025 जम्मू एवं कश्मीर में स्थित एक प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है और मात्र इस आधार पर कि रिट याचिकाकर्ता मेरठ का निवासी होने का दावा करता है, इस न्यायालय में इस प्रकरण की अधिकारिता निहित नहीं हो जाती। राजेन्द्र कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ एवं अन्य; 2005 (1) UPLBEC 108 के प्रकरण में प्रतिपादित निर्णय का आश्रय लिया गया है।
3. उक्त स्थिति का सामना होने पर, रिट याचिकाकर्ता अधिकारिता-संपन्न न्यायालय के समक्ष समुचित कार्यवाही संस्थित करने के विकल्प के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रत्याहृत करने की याचना करते हैं।
4. तदनुसार, रिट याचिकाकर्ता को अधिकारिता-संपन्न सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही संस्थित करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

10 फरवरी, 2026

आशू

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"